"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2014—पौष 5, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986) प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग एवं प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त "राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त" नियुक्त करता है. यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री माथेश्वरन व्ही., भा.व.से. (2006), वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-29/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री इमोतेमसु आओ, भा.व.से., वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, पेण्ड्रारोड को दिनांक 08-12-2014 से 27-12-2014 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 07-12-2014 का पूर्ववर्ती तथा दिनांक 28-12-2014 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. उक्त अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आओ, वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, पेण्ड्रारोड के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आओ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आओ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-58/2001/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. किस्कू, भा.व.से. को दिनांक 22-12-2014 से 30-12-2014 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. किस्कू, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt..(A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री किस्कू, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री किस्कू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किस्कू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्रमांक 728/922/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-12-2014 से 30-12-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 18-12-2014 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकार, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्रमांक 730/485/अव./2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-11-2014 से 25-11-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्रमांक 732/927/अव./2014/1-8/स्था.—श्री कलदियुस तिर्को, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 02-12-2014 से 06-12-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 07-12-2014 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कलदियुस तिर्की, आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कलदियुस तिर्की को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कलदियुस तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 2-6/2014/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा/रा.प्र.सेवा के निम्नलिखित उप सचिव को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से,

आगामी आदेश तक, उनके नाम के समक्ष दर्शाये कॉलम नं.-4 अनुसार विभाग में पदस्थ किया जाता है :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव	जल संसाधन विभाग	पशुपालन, मछली पालन विभाग
2.	श्री एम. एल. गुप्ता, (रा.प्र.से.) उप सचिव.	उच्च शिक्षा विभाग	जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2014

क्रमांक 734/940/अव./2014/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 08-12-2014 से 12-12-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 07, 13, 14-11-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2014

क्रमांक 736/1897/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. बी. काले, मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 07-11-2014 से 22-11-2014 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 06, 23-11-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. काले, आगामी आदेश तक मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. बी. काले, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. काले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2014

क्रमांक 738/918/अव./2014/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग को दिनांक 18-11-2014 से 27-11-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. सुरेन्द्र दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 10-10/2003/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 फरवरी 2014 द्वारा श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय को निश्चित वेतन रुपये 75000/- (रुपये पचहत्तर हजार) प्रतिमाह दिनांक 12-12-2013 से स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सिसोदिया को दिये जा रहे उक्त निश्चित मासिक वेतन रुपये 75000/- (रुपये पचहत्तर हजार) से पेंशन की राशि घटाये जाने से, विशेष प्रकरण मानते छूट प्रदान की जाती है.

3. अन्य प्रकरणों में इसे पूर्वादाहरण नहीं माना जाएगा.

4. इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2014-01-00472 दि. 26-11-2014 द्वारा सहमति दी गई है.

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 2-6/2014/1-8 (पार्ट).—छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के निम्नलिखित उप सचिव को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम के समक्ष दर्शाये कॉलम नं. 4 अनुसार विभाग में पदस्थ किया जाता है :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री याकूब खेस्स, उप सचिव	तक. शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.	श्रम विभाग
2.	श्री जी. आर. मालवीय, उप-सचिव	श्रम विभाग	तक. शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक 740/2270/अव./2009/1-8/स्था.—श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 26-12-2014 से 03-01-2015 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2014 एवं 04-01-2015 के शासकीय अवकाश के जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विनोद कुमार वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक 742/502/अव./2010/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, खाद्य विभाग को दिनांक 10-11-2014 से 12-11-2014 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09-11-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोपाल सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गोपाल सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोपाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक 8647/1605/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त श्री शिवदयाल साहू, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 22-09-2014 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक 8649/2612/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय तिवारी, अधिवक्ता, बलौदाबाजार, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्रमांक 9820/2196/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्रमांक 10068/2513, 3487/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एम. सिद्दीकी (मुख्तार सिद्दीकी), अधिवक्ता/नोटरी, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, छ.ग. का नाम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (घ) के प्रावधान के अनुसार नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-25/2014/चौबीस.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति का पुनर्गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

1. श्री मोहन राव, सिटी चीफ, नवभारत रायपुर
2. श्री दीपक लखोटिया, प्रधान संपादक, प्रखर समाचार, धमतरी.
3. श्री सुनील कुमार, प्रधान संपादक, दैनिक छत्तीसगढ़ रायपुर.
4. श्री अशोक साहू, ब्यूरो चीफ, यूनीवार्ता, रायपुर.
5. श्री सुशील कोठारी, संपादक, सवेरा संकेत, राजनांदगांव.

2. पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2015 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-107/गृह-सी/परीक्षा/2014.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 12 जनवरी, 2015 से 19 जनवरी, 2015 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 12-01-2015

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

सोमवार, दिनांक 12-01-2015

6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 13-01-2015

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 13-01-2015

15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधन राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 14-01-2015

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 14-01-2015

25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशुलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 15-01-2015

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 15-01-2015

41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 16-01-2015

45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

शुक्रवार, दिनांक 16-01-2015

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 16-01-2015	
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 17-01-2015 एवं रविवार 18-01-2015 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 19-01-2015	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2014 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-14/2014/स्था/चार.—राज्य शासन द्वारा, एतद्द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका के नियम-5 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन, एतद्द्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के क्रमांक-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-11-2014 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा-01 के सरल क्रमांक-10 में शब्द M/S BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED (BALCO) P. O. Balco Nagar Korba (C. G.), India. Pin 495684 के पश्चात् शब्द (राज्य में स्थित स्वयं के खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस कार्य हेतु) अन्त:स्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :—

क्र.	संस्था का नाम	पूरा पता	जिले/क्षेत्र का नाम जहां सेवा प्रदाता के रूप में कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जय ह्यूमन वेल्फेयर सोसायटी, बिलासपुर	हेमू नगर वार्ड क्रमांक 38 बिलासपुर मो. नं.-9425546009.	राजस्व जिला बिलासपुर
2.	सोशल रिवाईवल ग्रुप ऑफ अरबन रूरल एंड ट्रायबल, (स्रोत) कोरबा.	सिंचाई कॉलोनी चौक, दर्री, पोस्ट ऑफिस-जमनीपाली, पिन नं.-495450 मो. नं.-9826680190.	राजस्व जिला, कोरबा
3.	बुलबुल शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांकेर	पी. 37, उदय नगर कालोनी, पीजी कॉलेज के सामने, जिला-कांकेर पिन नं.-494334 मो. नं.-9424275102.	राजस्व जिला, कांकेर
4.	कल्याणी सोशल वेल्फेयर रिचर्स ऑर्गेनाईजेशन भिलाई, जिला-दुर्ग.	क्वा. नं. 4 ए, स्ट्रीट नं.-67, सेक्टर-6, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, मो. नं.-9425556961.	राजस्व जिला, दुर्ग
5.	जननी सेवा संस्थान अर्जुनी, धमतरी	ग्राम अर्जुनी, पो.-देमार, तह. व जिला-धमतरी.	राजस्व जिला, धमतरी
6.	सृजन सामाजिक संस्था, राजनांदगांव	ममता नगर, गली नं.-5, पंचशील कॉलोनी राजनांदगांव, मो. नं.-9827173727.	जिला राजनांदगांव
	सोशल ऑर्गेनाईजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ, राजनांदगांव.	132 भीमनगर, वार्ड नं.-7, डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव.	जिला राजनांदगांव

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेगी. साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रम एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी

न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड (2)	क्षेत्र/सम्मिलित जिले (3)	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम (4)
1.	जगदलपुर	बस्तर, कोण्डागांव एवं नारायणपुर	श्रीमती योगिता विनय वासनीक, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर.
2.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्रीमती अर्चना भास्कर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर.

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chief Judicial Magistrate/First Class Judicial Magistrate, mentioned in the column 4 as Chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level Selection Committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board (2)	Area/Revenue Dist. (3)	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board (4)
1.	Jagdalpur	Bastar, Kondagaon & Narayanpur	Smt. Yogita Vinay Wasnik, Judicial Magistrate, First Class, Jagdalpur.
2.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Smt. Archana Bhaskar, Judicial Magistrate, First Class, Janjgir-Chamapa.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-2/2014/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07-11-2014 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक को कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100/- + 6600/- ग्रेड बेतन में पदोन्नत किया जाकर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एम. पी. साहू सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग क्रमांक 1 रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग जगदलपुर (छ.ग.)	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर (छ.ग.)
3.	श्री डी. पी. सिंह, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग रायगढ़ (छ.ग.)	कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-जगदलपुर (छ.ग.)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 की कंडिका क्रमांक (4) 4.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-5/2014/13/1.--राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07-11-2014 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित उप अभियंता को सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100/- + 5400/- ग्रेड वेतन में पदोन्नत किया जाकर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री टी. एन. श्रीवास्तव उप अभियंता	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग रायगढ़ (छ.ग.)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 की कंडिका क्रमांक (4) 4.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक/8599/भू-अर्जन/2014.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बापूटोला प.ह.नं. 03	0.201	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव के खातुटोला बैराज के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक/8600/भू-अर्जन/2014.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बरछाटोला प.ह.नं. 03	0.045	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव के खातुटोला बैराज के अंतर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक 03 अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	मजगांव	42.45	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मजगांव जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्र.16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जमरगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.763 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
687/3	0.049
442/1/453	0.032
701	0.113
699/2	0.061
687/2	0.024
690/1	0.121
673/1	0.032
693/1ग	0.117
687/1ख	0.081
455	0.020
702/1	0.089
689/6क	0.012
456/1	0.008
690/2	0.121

	(1)	(2)
	699	0.061
योग		0.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमरगा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर एवं शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्र.17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.257 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	500	0.101
	212/2	0.117
	223	0.142
	495	0.113
	477	0.061
	229	0.177
	493	0.109
	476	0.049
	478	0.194
	491	0.081
	475	0.113
योग	11	1.257

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमरगा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर एवं शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्र.18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जमाबीरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.455 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
180/1	0.063
177	0.230
334	0.004
312/1	0.364
327	0.065
342/1	0.101
397	0.101
396	0.012
180/2	0.064
227	0.223
228	0.186
317	0.032

(1)	(2)
328	0.170
332	0.045
340/1	0.097
391	0.182
180/3	0.063
174	0.063
325	0.012
322	0.036
329	0.032
394	0.016
342/2	0.284
393	0.350
323/1	0.049
226	0.016
245/2	0.202
326	0.049
330/1	0.069
335	0.101
342/3	0.101
392	0.073
योग 32	3.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ज़माबीरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 73 तक का निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरगनी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.20 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
221	0.19
222	0.17
252	0.77
223	0.17
224	0.17
225/1	0.77
229	0.33
274/1	0.17
225/2	0.77
226	0.43
228	0.19
230	0.09
234	0.09
227	0.34
231	0.06
233	0.20
235	1.63
242, 243	0.72
244/1	0.22
244/2	0.20
245/1	0.26
245/2	0.26
245/3	0.26
246/6	0.12
246/3, 247/2	0.10
246/1	0.12
271/1	0.14
246/5	0.12
271/2	0.14
246/7	0.12
246/8	0.10
246/2	0.10
272	1.16
248	0.19
270	0.28
249/1	0.16
249/2	0.16

(1)	(2)
250	0.39
251	0.18
253	0.14
254/1	0.04
267/2क	0.10
254/2	0.04
267/2/ख	0.10
254/3	0.04
267/2/ग	0.10
255	0.12
256	0.10
257	0.50
258	0.10
259, 260	0.96
261	0.18
264	0.14
262	0.48
269	0.28
246/4, 247/1	0.10
263	0.17
265/1	0.07
265/2	0.07
266/1	0.33
266/2	0.33
267/1	0.41
263/3	0.22
268/2	0.01
268/3	0.02
268/4	0.01
268/5	0.02
योग 71	17.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर, 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/4483.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार. अधि./2012-13/7266-67 रायपुर, दिनांक 03-03-2014 द्वारा श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 626 दिनांक 14-11-2014 द्वारा श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर, जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर धमतरी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/4663.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/3305-06 रायपुर, दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री सी. एल. परगनिहा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला-उ. ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर उ. ब. कांकेर के पत्र क्रमांक 5035 दिनांक 17-10-2014 एवं सचिव कृषि उपजं मंडी समिति पखांजूर का पत्र क्रमांक 31 दिनांक 09-10-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सी. एल. परगनिहा जिला कार्यालय में पदस्थ है तथा कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश क्रमांक/4552/कले./विलि.-एक/2014/कांकेर दिनांक 22-09-2014 द्वारा श्री के. आर. देवांगन संयुक्त कलेक्टर जिला-कार्यालय कांकेर को अस्थाई आदेश पर्यन्त पखांजूर में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सी. एल. परगनिहा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर को जिला कार्यालय कांकेर में पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री के. आर. देवांगन संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर जिला कांकेर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला-उ.ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 03 दिसम्बर, 2014

क्रमांक/8021/व.लि./2014.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 की कंडिका 5 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्र. एफ-3/2/1999/1/4, दिनांक 30-03-1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कैलेण्डर वर्ष 2015 के लिये रायगढ़ जिले में निम्नानुसार सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	तिथि	दिन	पर्व/त्यौहार का नाम
1.	14 अगस्त, 2015	शुक्रवार	हरेली
2.	12 अक्टूबर, 2015	सोमवार	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या
3.	12 नवम्बर, 2015	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय/बैंकों के लिये लागू नहीं होगा.

मुकेश बंसल,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर, 2014

क्रमांक/15121/स्थापना/2014.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो क्रमांक-चार की कंडिका-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. वर्ष 2015 के लिए जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गयी तारीखों को पूरे

दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गणेश चतुर्थी/विश्वकर्मा जयंती	17 सितंबर	भाद्रपद 26, 1937	गुरुवार
2.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1937	सोमवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन	12 नवंबर	कार्तिक 21, 1937	गुरुवार

ओ. पी. चौधरी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्रमांक 8608/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मरवाही अपने घोषित कार्यस्थल मरवाही के अतिरिक्त पेण्ड्रारोड में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 8608/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II, Marwahi in addition to his declared place of sitting at Marwahi shall also sit at Pendra-Road for a week in every month.

Bilaspur, the 29th November 2014

No. 425/CSJA/3rd Part ADJ 2013 & 1st Part 2014 Batch/14.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2013 and 2014 Batch as specified in column No. (2) presenty posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 15th December, 2014 before 8.00 A.M. for undergoing the Institutional Training scheduled to be held from 15th December, 2014 to 24th December 2014.

TABLE

Sl. No.	Name of Addl. District & Sessions Judge	Posted as & at
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Sanjeev Kumar	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.
2.	Shri Jaideep	Additional District & Sessions Judge, Kanker
3.	Shri Santosh Kumar Tiwari	IV Additional District & Sessions Judge, Ambikapur

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Manvendra Singh	II Additional District & Sessions Judge, Dantewada
5.	Shri Rajbhan Singh	Additional District & Sessions Judge, Jashpurnagar.
6.	Shri Mohan Prasad Gupta	II Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.
7.	Shri Sunil Kumar Jaiswal	VIII Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
8.	Smt. Vandana Deepak Dewangan	VIII Additional District & Sessions Judge, Durg
9.	Shri Sanket Kumar Khanday	IX Additional District & Sessions Judge, Raipur
10.	Shri Neeraj Sharma	III Additional District & Sessions Judge, Raigarh
11.	Shri Rajeev Kumar	IX Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
12.	Shri Suresh Joon	Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
13.	Smt. Neelima Singh Baghel	V Additional District & Sessions Judge, Durg
14.	Shri Dukhi Ram Dewangan	IV Additional District & Sessions Judge, Raigarh
15.	Smt. Shubhra Pachouri	V Additional District & Sessions Judge, Raigarh
16.	Shri Ganesh Ram Burman	IV Additional District & Sessions Judge, Raipur
17.	Shri Vijay Kumar Jolhe	VIII Additional District & Sessions Judge, Raipur

The abovementioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books.

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules

Bilaspur, the 1st December 2014

No. 1271/Confdl./2014/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13016/03/2014-US.II dated 24-11-2014 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of November 28, 2014.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 28th November 2014

No. 638/L.G./2014/II-2-04/2010.—Shri Hemant Kumar Agrawal, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-08-2014 to 08-08-2014 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 02-08-2014 till before the office hours of 11-08-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Agrawal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th November 2014

No. 640/L.G./2014/II-3-4/2010.—Smt. Rajni Dube, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar, is hereby, granted earned leave for 04 days from 19-11-2014 to 22-11-2014 along with permission to leave headquarters from the evening of 18-11-2014 till the morning of 24-11-2014.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dube, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 89 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 28th November 2014

No. 641/L.G./2014/II-2-07/2002.—Shri T. K. Jha, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 02 days on 21-11-2014 & 22-11-2014 along with permission to remain out of headquarters from 21-11-2014 till 23-11-2014.

During the period of eaned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 251 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्रमांक 210/दो-2-10/2007.—श्री के. विनोद कुजूर, तत्कालीन तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश.में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.